न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./35/2015/जैसलमेर

अपीलांट

नूरे खां पुत्र श्री खिदु खां जाति मुसलमान निवासी बडोड़ा गांव तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर
2.श्रीमान तहसीलदार, जैसलमेर जिला जैसलमेर
3.श्रीमती संतोषकंवर पत्नी श्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बडोड़ा गांव तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 02/2010 बअनवान नूरेखां बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.09.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 23.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि उसकी कदीमी कब्जा काश्त भूमि ग्राम बडोड़ा गांव के खसरा संख्या 147 मे रकबा 15 बीघा व खसरा संख्या 148 में 20 बीघा कुल रकबा 35 बीघा आयी हुई है। उक्त भूमि पर उसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से कब्जा काश्त है परन्तु समरी बन्दोबस्त एवं स्थायी बन्दोबस्त मे उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नही की जाकर सिवायचक दर्ज कर दी गयी है, जिसे अपनेनाम खातेदारी दर्ज किये जाने की घोषाणात्मक आज्ञप्ति जारी करने का अनुतोष चाहा गया है कि वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से सरकारी भूमि दर्ज रही है व वादी का उस पर मात्र अतिक्रमण रहा है जिसके आधार पर वादी किसी अनुतोष का हकदार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों से परे जाकर अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थीगण समरी से लेकर आज दिनांक तक पीढ़ियों से उक्त विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त रहा है तथा अपीलांटगण का ही मौके पर कब्जा काश्त रहा है तथा मौके पर रहवासिय झापी, पशुओं का बाड़ा, पानी का टांका बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकियात कायम की उसको पत्रावली पर आयी साक्ष्य से जोड़कर नहीं देखा गया, बल्कि मनमर्जी से तनकियात का निर्णय किया गया। गलत तरीके से व्याख्या कर तथा गवाहान के बयानों को अनदेखा कर अपनी मनमर्जी से निर्णय किया गया, जो कि सरासर विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेसपोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेसपोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु अपीलांट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेसपोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित समझते है। अपीलांट के वकील ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है पिछले तीन वर्षों से उसके शारीरिक कमजोरी के कारण वह शहर नहीं आ पाया न ही उसके अधिवक्ता ने उसे निर्णय की सूचना ही दी प्रथम बार निर्णय दिनांक 21.09.2012 की जानकारी दिनांक 01.10.2015 को हल्का पटवारी मौके पर काश्त दर्ज करने आया तक हल्का पटवारी ने कहा कि आपका निर्णय हो चुका है आपका दावा खारिज हो गया है जिस पर उसी दिन हाजिर होकर नकल चाही जो नकल मिलते ही प्रथम बार जानकारी होने के बाद नकल लेकर तुरन्त अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी स्वभाविक है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद में शुमार करने व अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाने की आज्ञा प्रदान करावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया। हस्तगत अपील सुदीर्घ अवधि के बाद पेश की गई। अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है तथा मियाद को माफ करने हेतु कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया। अतः अपीलांट की अपील को मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 21.09.2012 को अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 07.10.2015 को पेश की गई जो तकरीबन 03 वर्ष बाद पेश की गई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि बाद पेश करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। अपीलांट न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 03 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

चूंकि पत्रावली पर मैरिट पर बहस सुनने से गुणावगुण पर निर्णय करना भी उचित होगा। पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील की नकलों से स्पष्ट हो रहा है कि वादी/अपीलांट का अपीलाधीन आराजी पर संवत 2036 व उसके बाद अतिक्रमण की हैसियत से काश्त करना पाया जाता है। हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये अपने बयान में बताया कि "वादी नूरे खां का खसरा नम्बर 147 व 148 में अतिक्रमण खसरा परिवर्तन संवत 2036, 2038, 2039, 204, 2041, 2042, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 में काश्त किये जाने की टीपी दर्ज है। टीपी पर जुर्माना की कार्यवाही होकर जुर्माना वसूल किया गया है। रेकर्ड में वादग्रस्त जमीन रकबा राज है।" वादी/अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है व अतिक्रमी दावाकृत भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का हकदार नहीं ठहरता है। अपीलांट/वादी की कानून की मंशा के विरूद्ध गैर वाजिब मांग कतई स्वीकार्य नहीं है। वाद के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेख एवं साक्ष्य इसकी संबद्धता नहीं जोड़ पाए है बल्कि केवल कल्पना के आधार पर सरकारी भूमि पर दावा किया गया है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित

अपील अधिकारी

प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दावा वादीगण/अपीलांट पक्ष में डिक्री/निर्णित करने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने से अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 02/2010 बअनवान नूरेखां बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.09.2012 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर